न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 2/2021

बउनवान

1. भगवानलाल आयु 40 वर्ष पुत्र श्री जयलाल जाति बैरवा निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0
2. सूरजमल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0
3. सत्यनारायण सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी बालाखेड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
4. खलील खान आयु 58 वर्ष पुत्र श्री फजलुर्रहमान जाति मुसलमान निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0 **(निगराकार)**

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ़ पंचायत समिति किशनगंज
2. सचिव, ग्राम पंचायत नाहरगढ़ पंचायत समिति किशनगंज
3. गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवकिशन लाल जाति गोस्वामी निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0 **(गैरनिगराकारान)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायत राज अधिनियम 1994</u>

उपस्थिति :— 1. श्री ललित नागर अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री त्रिभुवन जैन अभिभाषक **(गैर निगराकारान कम 1 व 2)**
3. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक **(गैर निगराकार कम 3)**

<u>निर्णय दिनांक 31.08.2022</u>

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत नाहरगढ, पंचायत समिति किशनगंज द्वारा अवैध तरीके से गैरनिगराकार कमांक 3 को भूखण्ड माप 22X27 कुल 594 वर्गफीट वाके नाहरगढ चर्तुसीमाएं पूर्व सिंचाई विभाग की खाली जगह, पश्चिम चेतन शर्मा का मकान, उत्तर स्वंय की खाली जगह व दक्षिणी गुना रोड़ का पट्टा संख्या 2976 दिनांक 04.10.2021 को विधि विरूद्ध जारी किया गया है क्योंकि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। गैर निगराकार कम 3 द्वारा सिंचाई विभाग की बाउन्ड्रीवाल के अन्दर स्थित भूमि का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में गलत तथ्य [illegible] हुए उक्त पट्टा जारी करवाया गया। गैर निगराकार कम 3 ने आपने शपथ [illegible] में [illegible] का पुश्तैनी मकान बताया गया है जबकि वहां पर कोई मकान [illegible] जारी किया गया है वहां मौके पर कोई मकान स्थित [illegible] नाहरगढ द्वारा लिये [illegible] प्रस्ताव में खाली भूमि बताई है। गैर निगराकार कम 1 ग्राम [illegible] यत नाहरगढ द्वारा [illegible] टा नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 (क) में जारी किया गया है जो कि पुराने घरों को विनियमितीकरण का प्रावधान करता है जो कि आबादी भूमि में आवासों के बाबत ही जारी

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:25 IST
Reason: SelfAttested

किया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिवायचक भूमि/भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जो अवैध व गैरकानूनी है। अतः ग्राम पंचायत नाहरगढ, पंचायत समिति किशनगंज द्वारा गैर निगराकार क्रम 3 के पक्ष में जारी विवादित पट्टा क्रमांक 2976 दिनांक 04.10.2021 को निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड व गैरनिगराकारान को तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत नाहरगढ़ से पट्टे संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि निगराकारान द्वारा मिथ्या एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान् न्यायालय में निगरानी पेश की है जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत नियमों के अनुरूप जांच पड़ताल करने के बाद आबादी भूमि पट्टा संख्या 2976 दिनांक 04.10.2021 को जारी किया गया जिसे ग्रामसभा द्वारा विधिवत बैठक दिनांक 02.10.2021 बुलाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रम 1 लेकर जारी किया गया है व डी.एल.सी. दर पर राशि जमा कराने पर प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से पट्टा जारी किया गया है।

गैर निगराकार क्रम 3 की ओर से जवाब जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि गैर निगराकार क्रम 3 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.10.2021 को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर डी.एल.सी. दर से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर 351 रूपये प्रति वर्गफुट की डी.एल.सी. दर से राशि जमा करवाने पर नियमानुसार गैर निगराकार क्रम 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पट्टा जारी कर गैर निगराकार क्रम 3 के पक्ष में रजिस्ट्री करवाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नही होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने पत्रावली में संलग्न नकल प्रतियों के आधार पर ही बहस समाअत कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। इस पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा दिनांक 04.10.2021 को गैर निगराकार क्रम 3, जो कि ग्राम पंचायत के सदस्य है, के पक्ष में सिवायचक भूमि का पट्टा जारी किया गया जबकि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का ही पट्टा नीलामी से जारी करने का अधिकार है। उक्त भूमि पूर्व से थाना नाहरगढ़ के पुलिस क्वाटर्स बनाने हेतु प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि कीमत 50 हजार से ज्यादा का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया जा सकता। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया नही अपनाई गयी है। आपत्तियां आमंत्रित नही की गई है। निगरानी के साथ प्रस्तुत जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचाय[illegible] भी उक्त आरोपों के तहत सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ तहसील किशन[illegible] आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र प्रस्तावित कर मुख्य कार्यकारी [illegible] किये गये है। अतः उक्त पट्टा निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:25 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक गैरनिगराकार क्रम 3 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगराकारान का प्रकरण में कोई Locus Standie नही है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह सिवायचक नही है, बल्कि आदेश दिनांक 14.

जिला कलक्टर बारां (राज०)

.3.2008 को द्वारा आबादी हेतु दी जा चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर, बैठक आहूत की गई, तथा पूर्ण कोरम में पात्रता के आधार पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर अन्य पट्टो के साथ–साथ गैरनिगराकार कम 3 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किया गया है। तथा जारी पट्टे का विधिवत् पंजीयन करवाया गया है। पट्टा पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। अतः निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें।

दौराने बहस गैरनिगराकार कम 1व 2 ने जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों के तहत पूर्ण जांच पडताल करने के बाद विधिवत् बैठक बुलाकर दिनांक 02.10.2021 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर डी. एल.सी. दर पर उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत नाहरगढ द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव लेकर आपत्तियां चाहने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय लिया जाकर पट्टा संख्या 2976 दिनांक 04.10.2021 जारी किया गया। जिसका पंजीयन उप पंजीयक नाहरगढ द्वारा दिनांक 06.10.2021 को किया गया है। पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। अतः निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.10 11:06:25 IST
Reason: SelfAttested